

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 1372 / 1-5

लखनऊ: दिनांक: अक्टूबर 18, 2017

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश

विशय:- शीतकालीन सारस गणना वर्ष-2017

महोदय,

आप द्वारा दिनांक 26.06.2017 एवं 27.06.2017 को ग्रीष्मकालीन सारस गणना का सराहनीय कार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश में पुनः शीतकालीन सारस गणना कार्य पूरे मनोयोग से किया जाना है। सारस गणना हेतु दिनांक 15.12.2017 एवं 16.12.2017 की तिथि निश्चित की जाती है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इसी दिवस को सारस गणना की जानी है। शीतकालीन सारस गणना के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्थानीय स्कूली बच्चों तथा स्थानीय नागरिकों को अवश्य शामिल किया जाय। इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपनायी जाने वाली रणनीति का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से **15 दिन के अन्दर** अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। इस क्रम में निम्नानुसार सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

सारस गणना हेतु सामान्य निर्देश

1. सारस गणना कार्य हेतु प्रत्येक प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के लिये को-ऑर्डिनेटर होंगे।
2. गणना कार्य के लिए इच्छुक NGO'S (स्थानीय गैर सरकारी संगठनों) एवं प्रकृति प्रेमियों का सहयोग अवश्य लिया जाये।
3. अपने क्षेत्र के लिए वन रक्षक, गणना टीम का लीडर होगा। वन रक्षक के कार्य क्षेत्र में कई वेटलैण्ड होने पर एक से अधिक टीम का आवश्यकतानुसार गठन किया जायेगा। ऐसे वन प्रभाग जहाँ वर्ष 2010, 2012 तथा जून 2013, दिसम्बर 2013, जून 2014, दिसम्बर 2014, जून 2015 दिसम्बर 2015, जून 2016, दिसम्बर-2016 एवं जून-2017 में सारस की संख्या शून्य दर्शायी गयी थी, वहाँ पुनः विभागीय स्टाफ के माध्यम से जनपद के सभी मुख्य वेटलैण्ड क्षेत्र को गणना के समय भलीभाँति सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रत्येक गणना स्थल पर गणना प्रातःकाल 7.00 बजे से 8.30 बजे एवं सांयकाल 3.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य एक-एक बार की जायेगी तथा दोनों में से अधिकतम संख्या को वास्तविक संख्या माना जायेगा। गणना स्थल यथा-सम्भव ऊँचे स्थान पर या ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ से अधिकाधिक संख्या में सारस देखे जा सकें।
5. प्रत्येक गणना स्थल पर टीम द्वारा सारस का कम-से-कम एक डिजिटल फोटो भी लिया जायेगा।
6. प्रत्येक गणना स्थल का जी.पी.एस. रीडिंग अर्थात् अक्षांश एवं देशान्तर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. टीम द्वारा भरे गये गणना प्रपत्र एवं फोटो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि गणना प्रपत्रों के आधार पर अपने प्रभाग में पाये गये सारस की संख्या एवं फोटो दिनांक 20.12.2017 तक अपने-अपने वन संरक्षकों के माध्यम से एवं सीधे अग्रिम प्रति मुख्य वन संरक्षक, इको विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. गणना कार्य में यथा संभव राजकीय संरचना का उपयोग करते हुए व्यय को न्यूनतम रखा जाये।
9. सभी प्रभागीय वनाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करेंगे कि सारस गणना का कार्य सभी सारस वास-स्थलों पर सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाये।

संलग्नक:-गणना प्रपत्र।

भवदीय,

(एस0 के0 उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1372 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0 के0 उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1372 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0 इन्दिरा नगर, शीशमबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे वन विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

(एस0 के0 उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

